





## पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर हमेशा के लिए मांस, मछली, मुर्गा व अंडे की दुकानों को बंद करने के लिए सौंपा पत्रक

(आधुनिक समाचार सेवा)

सर्वेश कुमार यश

हरहुआ क्षेत्र

के भटोली निवासी रविन्द्र कुमार

मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक नार

मजिस्ट्रेट वाराणसी को सौंपा।

अरीद सिंह चड्हान ने कहा कि

हिन्दू पर्व व सनातन धर्म मांसाहार

परिक्रमा में इस तरह तेजी से बढ़ रहे थे जाप विक्री से हिंदू क्रम प्रभावित हो रहे थे।

जहां लोग नये पांव परिक्रमा करते हुए देवस्थानों में

पूजन करते हैं, राम नाम, शिव शिव

का जाप करते हैं, खुलेआम जीवों की हत्या कर मांस बेचना धर्म के प्रतिकूल है।

सीएस को लिखित जापन दर्शक तकाल हमेशा

के लिए मांस, मछली, मुर्गा व अंडे की

दुकानों को बंद करने का निवेदन

परिक्रमा करते हुए एवं गृहालय

परिवर्षीय विद्यालय में बृहद स्तर

पर स्कूल चलो अभियान संचालित

किये जाने का निर्णय लिया गया

है। जनपद में मण्डलायुक्त प्रयागराज

ने शत प्रतिशत नामांकन एवं गृहालय

परक शिक्षा प्रतिक्रम करने की बात

जनपद भ्रमण के दौरान कही इस

महाअभियान का मुख्यमंत्री योगी

अदिवासीनाथ द्वारा श्रावस्ती में

आगाज किया गया जिसका सजीव

प्रसारण जनपद के मॉडल प्राथमिक

विद्यालय राजगढ़ विकास खण्ड

सदर तथा परिषदीय विद्यालयों में

बच्चों, अधिकारियों व जनसामान्य

कर्मचारियों द्वारा एवं गृहालय

देखा गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

इस अवसर पर कस्तुरबा गांधी मंडरायी

के बच्चों ने स्कूल चलो अभियान

के दौरान आयुर्व्वादी

एवं गृहालय

परिवर्षीय विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

इस अवसर पर कस्तुरबा गांधी मंडरायी

के दौरान आयुर्व्वादी

एवं गृहालय

परिवर्षीय विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर मॉडल

प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ में दीप

प्रज्ञवलित कर किया गया।

जनपद में बृहद स्तर

पर म





सम्पादकीय

भारत में अल्पसंख्यक  
और पारिसंघीय  
सिद्धांत, राज्य को ही  
दर्जा देने का अधिकार

एक पथनारपेक्षा राष्ट्र के रूप में भारत ने संदैव सभी विश्वासों के प्रति सहिष्णुता दर्शाने वाले उदारवादी सिद्धांतों को महत दिया है। यही उदारवादी सिद्धांत भारत की विविध संस्कृति और उसकी अखंडता का प्रदर्शन भी करते हैं और निसंदेह इस अखंडता को बनाए रखने में सहायक रहे हैं। लेकिन हाल के दशकों में व्यक्तिवादी मनोवृत्तियों के उभरन और उनके प्रसार के कारण कई अवसरों पर अंतर-सांस्कृतिक संघर्षों को बल मिला है और ऐसी स्थिति को आलोचकों ने कई बार 'असहिष्णुता की एक संस्कृति' भी कहा है। ध्यातव्य हो कि भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का प्रविधान करता है और बंधुत्व के सिद्धांत पर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करता है। इसके बावजूद कई समूह राजनीतिक मनोवृत्तियों से प्रभावित होकर वैयक्तिक राजनीतिक लाभ लेने की मंशा से भारत की विविध और बहुवचनीय संस्कृति का अनुचित लाभ लेने का प्रयास करते हैं। इसके लिए ऐसे समूह समाज को जाति या भाषा या धर्म के आधार पर बांटने का कार्य करते हैं जिसके कारण समुदायों में घृणा की भावना विकसित होती है जो संप्रदायिकता को जन्म देती है। यह सत्य है कि कोई राष्ट्र तभी अखंड बना रह सकता है जब वह कमज़ोर एवं बहिष्कृत वर्गी और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करे। इसी आधार पर संविधान ने सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार समान रूप से दिया है। साथ ही, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और भाषाई आधारों पर विभेद रोका है, ताकि भारत में विद्यि के शासन द्वारा विधिक और नैसर्गिक, दोनों ही प्रकार का न्याय उपलब्ध कराया जा सके। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था अधिनियम : हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था अधिनियम 2004 की धारा 2 (एफ) की वैधता को चुनौती दी गई है जिसने इस विषय को विवादास्पद बना दिया है। याचिका में यह कहा गया है कि अधिनियम की यह धारा प्रभाव में स्वेच्छाचारी, अतार्किक और आक्रामक है। याचिका में यह भी उल्लेख है कि अल्पसंख्यक

वृद्धावस्था में सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में संसद का एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप सामने आया है। हाल ही में एक स्थायी समिति ने अनुदान मांग 2022-23 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को एक हजार रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन को कम मानते हुए इसे बढ़ाने के लिए कहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब किसी समिति ने इस तरह की बात की हो, इससे पहले भी कई अन्य समितियों ने पेंशन को बढ़ाने की मांग की थी लेकिन इस समिति ने कुछ ऐसे प्रयास भी किए हैं जिससे इस प्रस्ताव ने सर्वीच्च स्तर पर सामाजिक सुरक्षा और उसे

और विशेष तौर पर वृद्धावस्था से जुड़ी पेंशन का प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आगे बढ़ने वाले दशकों में हमारी औसत आयु बढ़ेगी। इस कारण से पेंशन पर निर्भर आबादी और उसका बोझ दोनों बढ़ेगे। इस संबंध में उल्खनीय है कि वर्ष 2014 में ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन को एक हजार रुपये किया गया था, जो न केवल अपर्याप्त प्रतीत हो रहा है, बल्कि रंगाराजन समिति की शाहरी गरीबी रेखा से नीचे भी है। यही कारण है कि कई श्रमिक संगठनों ने उस समय भी इसे बढ़ाने की मांग की थी। अब जब पिछले आठ वर्षों में महंगाई और बढ़ी है तो ऐसे में यह राशि और भी कम प्रतीत हो रही है। पेंशन का प्रश्न सुरक्षा अधिनियम, 2008 लागू हुआ। मगर इससे अन्य क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक की योजनाओं से जोड़े? मैं सफलता नहीं मिल पाई। अनुभवों से सीख लेते हुए कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने सर्वभौमिक सामाजिक सुलिए कई कदम उठाए हैं। वर्तमान में लाया गया सामाजिक संहिता असंगठित क्षेत्र के लिए को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की दिशा में एक मत्पूर्ण कार्यभवित्य को ध्यान में रखकर गई। इस संहिता में गिरा इकट्ठा और इस तरह के विविध संघों से जुड़े श्रमिकों को भी लाया जाना सके इसलिए उन्हें भी योजना है। इस संहिता में असंगठित के श्रमिकों के लिए या तो 3

श में अर्थित सुरक्षा योगदान के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में बढ़ते हुए हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्री भर्पृद्ध यादव ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदण्ड योजना के अंतर्गत 'डोनेट' ए पैशनड नामक पहल की शुरूआत की। इस पहल में कोई भी नागरिक अपने कर्मचारी जैसे चालक, घरेलू सहयोगी इत्यादि के पैशन के प्रीमियम योगदान को दान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदण्ड योजना स्वैच्छिक और अंशादायी है जिसमें लाभार्थी 60 वर्ष की आयु तक एक निर्धारित योगदान करता है। केंद्र सरकार भी इसमें योगदान करती है तथा 60 वर्ष की आयु के बाद उसे तीन हजार रुपये की मासिक पैशन मिलेगी। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा को प्रत्येक श्रमिकों

# भारत में असंगठित तौर पर कार्यरत श्रमिकों के लिए आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की महत्ता



ईपीएफओ तक ही सीमित नहीं हैं। भारत में करीब 80 प्रतिशत राज्यादा श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह वर्ग किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना देख लाभ से वंचित है। ऐसा नहीं है विनायक इस वर्ग के लिए योजनाएं नहीं बनाए गई, परंतु भारत में ज्यादात भारतीय सामाजिक सुरक्षा कानून और योजनाएं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक पहुँचने में विफल रहीं। असंगठित क्षेत्र उद्यम के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआई-चूट्स) ने 2006 की रिपोर्ट, 'असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा' के बारे में विभिन्न संगठनों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक समूहों के द्वारा अभियान चलाने के बाद वर्ष 2006 में असंगठित क्षेत्र श्रमिक सामाजिक

के आधार पर या कुछ मामलों में पूरी तरह से सरकारी वित्त पोषित या कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अनुसार पूरे कार्यबल के सामाजिक सुरक्षा को विस्तार देने का प्रतिशान किया गया है। कोविड महामारी के बाद पैदा परिस्थिति राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा के प्रभाव जागरूकता और बढ़ा दी है। असंगठित क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती श्रमिकों का डाटाबेस नहीं होने से जुड़ी थी। अगस्त 2021 में सरकार ई-श्रम पोर्टल लेकर आई जिसके माध्यम से इस कमी को दूर करने का प्रयास शुरू हुआ। वर्तमान तक राज्यों द्वारा 26 करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम का जारी किया जा चुका है। इसके पंजीकरण श्रमिकों को सामाजिक

तक पहुंचने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार की ऐसी सभी योजनाओं की जानकारी उन्हें मिले और इससे भविष्य या किसी दुर्घटना की स्थिति में उन्हें क्या लाभ मिलेगा, वह भी उन्हें समझाया जाए। साथ ही वर्तमान की योजनाओं का एक अध्ययन भी करने की जरूरत है जिससे पता लगाया जा सके कि कौन सी योजनाएं सबसे प्रभावी रही हैं, ताकि उनको और सुदृढ़ किया जा सके। वर्तमान में भारत में इस क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं में समाज की भागीदारी उतनी नहीं है। हालांकि 'डोनेट ए पैशन ऐसी एक बेहतर पहल है, लेकिन इस दिशा में अभी व्यापक प्रयास करने की जरूरत है, ताकि समाज अपनी भागीदारी को इसमें बढ़ा सके।

रूस-यूक्रेन युद्ध से सबसे बड़ा सबक  
यही मिला है कि अपनी रक्षा के लिए  
आप किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते

यूक्रेन पर अपने हमले को रूस ने विशेष सैन्य अभियान' का नाम दिया है। राष्ट्रपति पुतिन को पूरा भरोसा था कि जैसे उनकी सेनाओं ने क्रीमिया को जीत लिया, वैसे ही यूक्रेन को भी तीन दिनों में धस्त कर देंगी। उनके लिए यह अफसोसजनक रहा कि महीने भर तक भारी-भरकम सैन्य हमलों के बावजूद यूक्रेन के प्रमुख शहरों में रूस की पैठ नहीं बन पाइ। यहां तक कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सहारा लिया। यूक्रेन के सैन्य बलों, नागरिकों और राजव्यवस्था ने बहुत मजबूती से प्रतिरोध किया। अपने शत्रुगार के बजाय देशभक्ति और लोकतंत्र के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें यह शक्ति प्रदान की है, जो संस्थानों और मानवीय जीवन पर आघात से भी अप्रभावित है। अर्थसात् मैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त थामस सेलिंग के अनुसार कोई टकराव वास्तव में उन नीति-नियंताओं के बीच रणनीतिक मुकाबला होता है, जो अपनी पसंद के विकल्पों को लेकर उसकी कीमत एवं फायदों को तौलते हैं। हालांकि हमलावर की रणनीति की सफलता उन संभावित परिणामों पर निर्भर करती है, जिस पर हमला किया जा सकता है। पूरा विश्व यूक्रेन युद्ध की विभिन्निका का प्रत्यक्षदर्शी बना हुआ है। सहानुभूति को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव से लेकर यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति और लाखों यूक्रेनियों का पड़सी देशों में शरणार्थी के रूप में स्वागत और रूस पर अप्रत्याशित आर्थिक प्रतिबंध और उसके धनकुबेरों एवं उनके संगी-साथियों पर कसता शिकंजा हम सभी ने देखा है। इतना ही नहीं पूरी दुनिया ऊर्जा संसाधनों, खनिज, खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी बढ़ोतारी देख रही है। महगाई के कारण उपजी मंटी और व्यापक मानवीय त्रासदी की स्थिति बन रही है। इस युद्ध का अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि यह लड़ाई कितनी लंबी खिंचेगी और उसका अंत किस प्रकार होता है। रूस की मजबूत सेना के खिलाफ यूक्रेन के सीमित सैनिक और स्वर्यंसेवक ही मोर्चा संभाल हुए हैं। अभी से यह कहा जाने लगा है कि युद्ध में यूक्रेन की नैतिक जीत हो रही है। दुनिया भर में बन रहे अधिकाश विमर्श इसी पर केंद्रित है कि पुतिन यह लड़ाई हार रहे हैं। हालांकि जंग के मैदान में जीत इसी पहलू से निर्धारित होती है कि यूक्रेन का सैन्य अमला अपने देश की रक्षा के लिए कब तक अड़ा रहेगा यूक्रेन युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नीति-नियंताओं को कई सबक देता है। सबसे पहला तो यह कि अपनी रक्षा के लिए आप किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते। इसमें सहानुभूति से कोई खास मदद नहीं मिलने वाली। न केवल लड़ाई खुद लड़ी होगी, बल्कि

उसके प्रभावों-दुष्प्रभावों को भी सचय ही झेलना होगा। दूसरा सबक यह है कि मौजूदा युद्ध केवल एक ही मोर्चे पर नहीं लड़े जाते। उनमें सैन्य संघर्ष से लेकर साइबर युद्ध, सूचना युद्ध और आर्थिक प्रतिबंध एवं ऊर्जा संकट जैसे मोर्चे भी शामिल होते हैं। इसमें किसी के उपहार उदाहरण अवश्य हो सकते हैं, लेकिन वे जिताने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसका उत्तर उसी मत्र में निहित है, जिसका आढ़ान प्रधानमंत्री मोर्द्देश पिछले कुछ अर्से से करते आए हैं। यह मत्र है आत्मनिर्भरता का जिसमें रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे सुचना हाँवे और ऊर्जा पर्याप्तता जैसे तमाम पहलू समाहित है। भारत के आयात बिल में ऊर्जा संसाधन प्रौद्योगिकी और सैन्य साजो-सामान से लेकर उन तमाम उपकरणों के पुर्जे भी प्रमुख अवयव हैं, जिनसे यहां निर्माण कार्य किया जाता है। यह हमारी कमियों को मुखरता से रेखांकित करता है। भारत एक शांतिप्रिय देश है और उचित ही है कि वह किसी पाले में नहीं खड़ा होता। हालांकि अक्सर उसकी विदेश नीति और रुख को इस प्रकार सुसंगत होना चाहिए कि उसके रणनीतिक रक्षण का मसला अलग थलग न पड़े। मजबूत रणनीतिक कवच की रूपरेखा लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी है। मौजूदा सरकार स्थितियों को गंभीरता की समझकर तत्परता से कमियों को दूर करने में जुटी है, किंतु दशकों की

हीलाहवाली को रातोंरात दुरुस्त नहीं किया जा सकता। आर्थिक धरी को बदलने और बहुधरीवीयता वाला वर्तमान भू-राजनीतक उभय अत्यधिक तत्परता की मांग करत है। ऐसे में एक व्यापक रणनीतिकालीन योजना तैयार करनी होगी। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता अर्थव्यवस्था का कुशल प्रबंधन एवं ऊची जीड़ीपी वृद्धि होनो चाहिए। इसके लिए लोगों, उद्यमों और नीति-नियताओं को बेहतर समझ बनाकर उचित समन्वय के साथ काम करना होगा। हथियारों द्वारा निर्माण का काम घेरेलू स्तर ही बढ़ाना होगा। उनके कल्पुर्जी रखकर उनके निर्माण और परीक्षण की प्रक्रिया यहीं संपादित करने होगी। विनिर्माण से जुड़े उद्यम नकल के बजाय नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयास करें। अत्याधुनिक शास्त्र भंडाबनाने के लिए हमारे नागरिक एवं सैन्य कमियों को कंधे से कठ मिलाकर काम करना होगा। भारतीय आइटी प्रतिभाओं के कौशल का लोहा पूरी दुनिया मानती है। यूक्रेन को दुनिया भर से स्वैच्छिक लड़ाकों का साथ मिल रहा है। इस तरह दुनिया भर में फैली भारतीय प्रतिभाओं को लामबंद होकर दुनिया की सर्वीत्तम तकनीकी एवं साइबर क्षमताओं के विकास में जुटना चाहिए। बहुस्तरीय दुनियादी ढांचे के विकास में आर्थिक वृद्धि के साथ ही सामरिक लक्ष्यों का भी ध्यान रखा जाए।

**सभी बोर्डों के छात्रों को समान अवसर प्रदान करेगी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा**

सनतक कार्यक्रम में दाखिले के लिए होने जा रही संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी सीयूईटी का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि सबको एक समान पढ़े और आगे बढ़े का अवसर मिलेगा। यह संयुक्त प्रवेश परीक्षा अभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सनतक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए हो रही है, किंतु राज्यों के विश्वविद्यालय, डीडीएवं निजी विश्वविद्यालय भी इसे अपना सकते हैं और कई तो इसी सत्र से अपना भी रहे हैं। सनतक में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी को अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा, न कि 12वीं के अंकों के आधार पर। पहले 12वीं के अंकों के आधार पर नामी विश्वविद्यालयों में सनतक कार्यक्रमों में प्रवेश मिलता था। कई विश्वविद्यालयों में तो सौ प्रतिशत अंक पाने वाले ही प्रवेश के लिए आवेदन कर पाते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के दस सनतक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस सर्व सौ प्रतिशत कट आफ रखा गया। बंबई विश्वविद्यालय में भी सौ प्रतिशत कट आफ रखा गया। ऐसी परिस्थिति में 12वीं में 99 प्रतिशत अंक पाने वाले भी इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते थे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा सबको कहीं भी प्रवेश लेने का अवसर उपलब्ध कराएगी। इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। केंद्रीय बोर्डी में अच्छे अंक मिलने और राज्यों के बोर्डी में अपेक्षाकृत कम अंक मिलने के कारण राज्यों के विद्यार्थी पिछड़ जाते थे। सनतक कार्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। इसकी आवेदन प्रक्रिया दो अप्रैल से शुरू हो गई है। परीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इस वर्ष तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा एक बार हो रही है, लेकिन



# असम मेघालय सीमा विवाद

## समझौते से ज्ञानी नई उमीद

देश के कई पर्वीत्तर राज्यों के किसी मामले को भारतीय संविधान

बीच आपसी सीमा विवाद लंबे समय से जारी है। दरअसल पहाड़ और जंगल जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सीमांकन का कार्य बहद मुश्किल होने के कारण कई बार किसी क्षेत्र विशेष पर दोनों निकटतम राज्यों की ओर से दाव किया जाता रहा है। लिहाजा थीरे थीरे यह विवाद का रूप धर लेता है जो किसी तात्कालिक कारण से कई बार उग्र रूप भी धारण कर लेता है। विदित हो कि असम और मेघालय राज्यों की 884 किलोमीटर की सीमा में कुल 12 स्थान विवादित हैं जिनमें से छह जगहों का समझौता हो गया है। जिन क्षेत्रों का समझौता हुआ है उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 70 प्रतिशत सीमाई इलाका विवाद मूक हो गया है। यह मंत्री ने यह उम्मीद जताई है कि शेष छह स्थानों का विवाद भी जल्द सुलझ जाएगा। यह मंत्री अमित शाह के पद संभालने के बाद पूरीतर राज्यों के कई विवादों के स्थायी समाधान निकालने की दिशा में काफी तेजी से काम हुआ है। इससे पहले अगस्त 2019 में विपुरा में नेशनल लिबरेशन फंट आफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद 23 जनवरी 2020 को ब्लैंडरियंग शरणाधिकारों के 23 वर्ष पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया गया। इसके चार दिन बाद 27 जनवरी 2020 को बोडोलैंड के 50 वर्ष पुराने विवाद को खत्म करने में सफलता हासिल हुई। चार सितंबर 2021 को कार्बी-आंगलोंग समझौता होने से कार्बी क्षेत्र में चला आ रहा पुराने विवाद समाप्त हो गया। इस तरह राज्यों के विवादों को सुलझाने में केंद्र व राज्य सरकारें काफी आगे बढ़ी हैं। इस सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए बनी सहमति एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस समझौते ने पूरीतर इलाके में स्थायी शांति की उम्मीद जगा दी है। दोनों राज्यों के बीच हुआ यह समझौता उत्तर पूर्व अन्य राज्यों के लिए नया माडल बनकर समस्त विवादों को हल करने की नई राह दिखा सकता है। इस समझौते की राह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यह मंत्री अमित शाह की यह सलाह अत्यंत प्रेरणादायक बनी कि 'जब भारत-बांग्ला देश आपसी सीमा विवाद सुलझा सकते हैं तो देश के दो राज्य अपने विवाद क्यों नहीं हल कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस समझौते से भारतीय संघ राज्य की परिकल्पना और मजबूत हुई है। संघीय ढांचे में दो राज्यों अथवा दो प्रशासनिक इकाइयों के बीच भौगोलिक सीमाओं के बंटवारे को लेकर विवादों का होना एक सामान्य बात है। ऐसे

पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तभी वे एक ही धरातल पर आगे बढ़ सकेंगे। केंद्र सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ वाले सुदूर गांवों के विद्यार्थियों का सीखने के बीच अवसर नहीं उपलब्ध है, जो मिशनरी, कार्नेट, पालिक, आवासीय अथवा ऐसे ही अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों को उपलब्ध है। सभी विद्यार्थियों को एकसमान अवसर देकर और एकसमान पाठ्यक्रम बनाकर इस खाई को पाटा जा सकता है। लगभग सभी गेंदबीय विश्वविद्यालयों ने चाइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) लागू कर दिया है। एक अकादमिक वर्ष में दो सेमेस्टर होते हैं और एक क्रेडिट के लिए प्रति सेमेस्टर 30 घंटे निर्धारित हैं। अनिवार्य और ऐच्छिक पाठ्यक्रमों में प्रत्येक पाठ्यचर्चा दो अथवा चार क्रेडिट की होती है। अनिवार्य एवं ऐच्छिक में दो और चार क्रेडिट दोनों प्रकार की पाठ्यचर्चा होती है। अनिवार्य और ऐच्छिक पाठ्यचर्चाओं के बीच 70:30 का अनुपात रहता है। विभिन्न पाठ्यचर्चाओं के मूल्यांकन के लिए सेमेस्टर की लिखित परीक्षा और आंतरिक परीक्षा के बीच 75:25 का अनुपात होता है। सीबीसीएस प्रणाली छात्रों को अधिक से अधिक अपनी सुचि के विषयों में अध्ययन करने की भी स्वतंत्रता देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पांच वर्षों य सनकत कार्यक्रम में भी किसी वर्ष कार्यक्रम छोड़ की स्वतंत्रता भी दी गई है।



